न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 349/2025 (GCMS : 2025/467)

अभिमन्यु पुत्र आत्माराम निवासी 4 एफसी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर** श्रीगंगानगर पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
2. **भीमराज** पुत्र कोडूराम निवासी 4 एफसी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **ध्रुव** पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी 4 एफसी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **सुलोचना** पत्नी आत्माराम निवासी 4 एफसी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.04.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग एवं अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) का एक प्रार्थना पत्र अनवानी भीमराज बनाम अभिमन्यु आदि प्रार्थी एवं अन्य के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.10.2025 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 02.12.2025 नियत की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने उक्त प्रकरण को दिनांक 13.10.2025 को दर्ज किया जाकर, एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करते हुए, पत्रावली में तलबी हेतु नोटिस जारी कर तहसीलदार, श्रीकरणपुर से मौका रिपोर्ट भी तलब की जाकर रिपार्ट दिनांक 03.11.2025 से पूर्व न्यायालय में प्रेषित किए जाने हेतु पाबंद करने का पत्र क्रमांक 2025/771 में अंकित कर दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब कर ली गई, जबकि मौका रिपोर्ट समस्त काश्तकारों की उपस्थित में तैयार की जाती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा जब लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने हेतु न्याया[illegible] अप्रार्थी संख्या 2 भीमराज मिले। अप्रार्थी संख्या 2 भीमराज द्वारा भी [illegible] के [illegible] दो प्रकरण रास्ता स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किये जा चुके है तथा भीमराज द्वारा [illegible] को यह यह अवगत करवाया जा चुका है, की पीठासीन अधिकारी उसके पुत्र [illegible]न्द्र के साथ पढा हुआ है जो उसका निजी जानकार है, जिसके परिणामस्वरूप वह उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण अतिशीघ्र त्वरित गति से अपने पक्ष में करवा लेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त प्रकरण में भी अपने मन मुताबिक भीमराज द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों के साथ ही अत्यधिक नजदीक की तारीख पेशी निश्चित करवाई जा रही है। प्रार्थी को अप्रार्थी खुल्लम खुला धमकी दे रहा है की जब तक पीठासीन अधिकारी जो अप्रार्थी संख्या 02 भीमराज के पुत्र का मित्र है, पदस्थापित है, वह उक्त प्रकरण में भी भीमराज द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों के साथ ही अपने मतानुसार आदेश पारित करवा लेगा। इस प्रकार से प्रार्थी को यह पूर्ण विश्वास हो चुका है की अप्रार्थी संख्या 2 की वर्तमान पीठासीन अधिकारी से जान पहचान है तथा उक्त जान पहचान के चलते अप्रार्थी संख्या 2 विचाराधीन प्रकरण में भी अपनी इच्छानुसार अपने पक्ष में वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से आदेश पारित करवा लेगा। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 31 / 2025 अनवानी भीमराज बनाम अभिमन्यु को अन्य समकक्ष न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2022-23 (Supp.) Page 635-636 की प्रति पेश की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मेरे द्वारा सारवान तथ्यों के साथ धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया तथा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के तहत पेश करते हुए वर्णित चालू रास्ता को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का पेश किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया हैं। रास्त स्वीकृति हेतु विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही हैं। प्रार्थी द्वारा मिथ्या मनगढंत आधारों पर रास्ता के प्रकरण का निस्तारण करने में विलम्ब करने के आश्य से यह मुंतकिली प्रार्थना पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगन जारी के पश्चात प्राथी एवं अप्रर्थी संख्या 3 व 4 ने एक राय होकर दिनांक 08.11.2025 को ट्रैक्टर के पीछे हल चलाकर मौका पर चल रहे रास्ता को जोत दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवमानना [illegible] दी। अब प्रार्थी द्वारा किए गए अवैध कृत्य से बचने के [illegible] है।

उनका आगे यह भी कथन [illegible] की सूचना मिलने के बावजूद भी जानबूझकार मौका रिपोर्ट के समय उपस्थित [illegible] हुआ, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी है, प्रार्थी मनगढंत आधारो पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 02 भीमराज के पुत्र का पीठासीन अधिकारी के साथ पढ़े जाने के झूठे तथ्य अंकित किये है, उनके द्वारा यह नहीं बताया कि पीठासीन अधिकारी के कौन, कब, किस कॉलेज / स्कूल में पीठासीन अधिकारी के साथ पढ़ा है तथा न ही प्रार्थी ने इस हेतु कोई सबूत पेश किया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई स्वतन्त्र गवाह, सबूत आदि पेश नहीं किये गये है, मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने एवं अवमानना से बचने के कारण प्रकरण मुंतकिल करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 02.12.2025 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण संख्या 31 / 2025 अनवानी भीमराज बनाम अभिमन्यु आदि को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर अप्रार्थी संख्या 02 भीमराज के प्रभाव में आकर अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर, प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। किसी व्यक्ति का दबाव देने सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें [illegible] अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.डी. 2009(18) पेज 475 में यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो [illegible] नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:22 IST
Reason: SelfAttested